निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-I

कारपोरेट सुशासन पर रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (''टीएचडीसीआईएल'' या ''कंपनी''), उत्तम कॉरपोरेट सुशासन परिपाटियों, नैतिकता, निष्पक्षता, व्यावसायिकता, और स्थायी आधार पर हितधारकों के मूल्य और हित को बढ़ाने तथा अपने हितधारकों के विश्वास और भरोसे के परिवेश का सृजन करने में विश्वास करता है। टीएचडीसीआईएल में, हम व्यवस्थित प्रक्रियाओं, नीतियों, नियमों, विनियमों और कानूनों का पालन करते हैं, जिनके द्वारा कंपनियों को हितधारक की आकांक्षाओं और सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रबंधन द्वारा निर्देशित, नियंत्रित और प्रशासित किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध ता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के उपबंधों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट सुशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों, 2010, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों और सभी अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन के साथ–साथ हम अधिकांश गैर–अनिवार्य अपेक्षाओं का भी अनुपालन करते हैं।

आपके निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कॉर्पोरेट सुशासन पर कंपनी की रिपोर्ट और उसके बाद सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा कॉर्पोरेट सुशासन पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है। आपके साथ यह साझा करते हुए हमें खुशी हो रही है कि कंपनी को वर्ष 2021–22 के लिए कॉरपोरेट सुशासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए डीपीई द्वारा 'उत्कृष्ट' दर्जा दिया गया है।

1. कारपोरेट सुशासन के संबंध में कंपनी की विचारधारा का संक्षिप्त विवरण

आपकी कंपनी का मानना है कि कॉरपोरेट सुशासन में बहुत–से नियम और नियंत्रण शामिल होते हैं जो पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं जिनके भीतर कंपनी के सभी हितधारकों, जैसे इसके शेयरधारकों, निदेशकों और प्रबंधन, समाज और पर्यावरण को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन मिलता है। यह अपने सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करते हुए कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ढांचा प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के व्यवसाय जवाबदेह और निष्पक्ष तरीके से संचालित किए जा रहे हैं। जबकि सुशासन पर आपकी कंपनी का दृष्टिकोण शुरुआत से ही निर्धारित किया गया है, यह ढांचा कंपनी को वर्तमान समय में समाज की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए पर्याप्त लचीला है।

कंपनी का मानना है कि कॉरपोरेट सुशासन इस बारे में भी है कि बोर्ड क्या करता है और यह कैसे कंपनी के मूल्यों को निर्धारित करता है और कंपनी के व्यवसाय को अपने सिद्धांतों के साथ संचालित करता है। बोर्ड इस बात से दृढ़ता से सहमत है कि सुशासन केवल एक उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक कॉर्पोरेट संस्था के रूप में कार्य करने के उद्देश्य को प्राप्त करना है। यह पूर्णकालिक अधिकारियों द्वारा कंपनी के दिन–प्रतिदिन के प्रचालन संलग्नता से भिन्न है। इस प्रकार आपके बोर्ड की जिम्मेदारियों में कंपनी में कॉर्पोरेट सुशासन के सिद्धांतों को लागू करना, कंपनी के सामरिक लक्ष्य निर्धारित करना, प्रबंधन को उनके नेतृत्व के साथ मार्गदर्शन करना और शेयरधारकों को रिपोर्ट करना शामिल है। प्रबंधन, बोर्ड और उसकी समितियां मिलकर यह सुनिश्चित करती हैं कि टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड अक्षुण अखंडता, उत्कृष्टता की कंपनी बनी रहे और जिम्मेदार विकास की ओर अग्रसर हो।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल के पास प्रभावी प्रबंधन, दीर्घकालिक व्यापार कार्यनीति, सामान्य मामले, प्रदर्शन और कंपनी की कॉर्पोरेट सुशासन परिपाटियों की प्रभावशीलता की निगरानी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, बोर्ड के परामर्श से व्यावसायिक कार्यनीति को क्रियान्वित करते हुए तथा वार्षिक और दीर्घकालिक व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए कंपनी के प्रबंधन मामलों का प्रभार संभालते हैं।

2.1 बोर्ड का आकार

आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है जिसमें 74.496 प्रतिशत इक्विटी शेयर होल्डिंग एनटीपीसी की है तथा 25.504 प्रतिशत इक्विटी शेयर होल्डिंग उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की है। कंपनी के व्यवसाय का अधीक्षण निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। एनटीपीसी लिमिटेड और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित शेयर क्रय करार के अनुसार, एनटीपीसी लिमिटेड को दो नामिती निदेशक नामित करने का अधिकार होगा। तथापि, कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले दो निदेशकों को छोड़कर, निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति समय–समय पर कंपनी के निदेशकों की संख्या तय करते हैं जो सात से कम और पन्द्रह से अधिक नहीं होगी।

2.2 बोर्ड की संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में निदेशक मंडल में कार्यपालक एवं गैर कार्यपालक निदेशकों का आदर्श संयोजन है। इसके साथ–साथ यह भी निर्धारित है कि निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक के साथ कार्यकारी और गैर–कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन होना चाहिए। वर्तमान में निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यात्मक निदेशक, एनटीपीसी द्वारा नामित निदेशक, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, टीएचडीसीआईएल के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित दो प्रकार्यात्मक निदेशक, भारत सरकार द्वारा नामित एक निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा नामित दो और एक महिला निदेशक सहित तीन स्वतंत्र निदेशक हैं। टीएचडीसीआईएल के निदेशकों के पास अपेक्षित योग्यता, विशेषज्ञता और अनुभव है जो उन्हें कंपनी के व्यवसाय को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और बोर्ड में प्रभावी योगदान करने में सक्षम बनाता है।

निदेशक मंडल का विवरण अर्थात् उनके नाम, पदनाम, अन्य कंपनियों में उनके द्वारा धारित निदेशक-पदों और समिति की अध्यक्षता/ सदस्यता की संख्या और अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम, जिनमें निदेशक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार निदेशक पद पर आसीन हैं, निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	धारित अन्य निदेशक - पदों की संख्या	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में धारित निदेशक-पद और निदेशक -पद की श्रेणी	अन्य समितियों में धारित सदस्यता की संख्या	
					अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
1.	श्री आर. के. विश्नोई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1	–	–	–
2.	श्री जे. बेहेरा	निदेशक (वित्त)	1	–	–	2
3.	श्री ए. के. गौतम*	एनटीपीसी लिमिटेड नामिती निदेशक	4	1 एनटीपीसी लिमिटेड कार्यपालक निदेशक	0	6
4.	श्री यू. के. भट्टाचार्य	एनटीपीसी लिमिटेड नामिती निदेशक	6	1 एनटीपीसी लिमिटेड कार्यपालक निदेशक	2	3
5.	श्री जितेश जॉन	नामिती निदेशक भारत सरकार	1	–	–	3
6.	श्रीमती सजल झा	स्वतंत्र निदेशक	–	–	1	3
7.	डॉ. जय प्रकाश नाईक बी.	स्वतंत्र निदेशक	–	–	3	4
8.	श्री केसरीदेव सिंह डी. झाला	स्वतंत्र निदेशक	1	–	–	–

*31.05.2022 से निदेशक पद पर नहीं रहे

निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन

1. सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर, श्री डीवी सिंह और श्री राज पाल दिनांक 30.04.2021 से टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में क्रमशः अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में कार्यरत नहीं रहे।
2. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 12 अप्रैल, 2021 के अपने आदेश संख्या 14–11/30/2020–एचआई (255493) के तहत श्री विजय गोयल, निदेशक (कार्मिक), टीएचडीसीआईएल को दिनांक 01/05/2021 से तीन महीने की अवधि के लिए टीएचडीसीआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त पदभार सौंपा। विद्युत मंत्रालय ने श्री विजय गोयल को सौंपे गए अतिरिक्त पदभार की अवधि को 01.08.2021 से आगे बढ़ा दिया। सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर श्री विजय गोयल 31.10.2021 से टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में निदेशक नहीं रहे।
3. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 6 अगस्त, 2021 के अपने आदेश संख्या 14–11/4/2020–एचआई (251966) द्वारा श्री आर. के. विश्नोई को 06.08.2021 से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया।
4. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 3 सितंबर, 2021 के अपने आदेश संख्या 14–11/10/2021–एचआई (258704) के माध्यम से श्री आर. के. विश्नोई, सीएमडी, टीएचडीसीआईएल को दिनांक 06.08.2021 से निदेशक (तकनीकी), टीएचडीसीआईएल के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने की संसूचना दी। इस अतिरिक्त प्रभार को विद्युत मंत्रालय द्वारा 05.08.2022 तक या नियमित पदधारी की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया गया था।
5. विद्युत मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या 14–37/22/2017–एचआई (238665) के माध्यम से श्री जितेश जॉन, आर्थिक सलाहकार, विद्युत मंत्रालय को दिनांक 21.06.2021 से टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्ति की सूचना दी।
6. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 6 अक्टूबर, 2021 के अपने आदेश संख्या 14–11/18/2021–एचआई (259305) द्वारा श्री आर के विश्नोई, सीएमडी, टीएचडीसीआईएल को 01.11.2021 से निदेशक (कार्मिक), टीएचडीसीआईएल के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपने की संसूचना दी। विद्युत मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त प्रभार को आगे बढ़ा दिया गया था।
7. सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर श्री टी. वेंकटेश, दिनांक 31.01.2022 से उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक के पद पर नहीं रहे और श्री अनिल गर्ग को दिनांक 26.04.2022 से उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
8. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 10 नवंबर, 2021 के अपने आदेश संख्या 14–37/43/2021– एचआई (259063) के तहत डॉ. जयप्रकाश नाइक बी. (डीआईएनः 09423574) और श्रीमती सजल झा (डीआईएनः 09402663) को नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।
9. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 28 मार्च, 2022 के अपने आदेश संख्या 14–37/43/2021–एचआई (259063) के तहत श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला (डीआईएनः 09101303) को नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है।
10. सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर श्री ए. के. गौतम दिनांक 31.05.2022 से टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड नहीं रहे।
11. विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 2 जून, 2022 के अपने पत्र संख्या 14–7/1/2022–एचआई (260878) के माध्यम से श्री आर. के. विश्नोई, सीएमडी, टीएचडीसीआईएल को दिनांक 01.06.2022 से सीएमडी–नीपको और निदेशक (तकनीकी), नीपको के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने की सूचना दी।

बोर्ड का कोई भी निदेशक सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 26 के तहत निर्धारित सभी सार्वजनिक कंपनियों में 10 से अधिक समितियों का सदस्य या 5 से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है। कंपनी का कोई भी निदेशक, कंपनी के अन्य निदेशकों से परस्पर संबंधित है।

2.3 निदेशकों की आयु-सीमा तथा कार्यकाल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति कार्यभार संभालने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि या अधिवर्षिता की आयु पूरी करने, जो भी पहले हो, तक के लिए की जाती है।

गैर–कार्यपालक निदेशक भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक विभाग के प्रतिनिधि के रूप में पदेन हैसियत से कार्य कर रहे हैं और उस मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग से सेवा समाप्त हो जाने पर वे सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा टीएचडीसीआईएल में नियुक्त नामित निदेशकों का निदेशक पद एनटीपीसी लिमिटेड में निदेशक पद की सह–मीयादी (कोटर्मिनस) का होगा। स्वंतत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आमतौर पर तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाती है।

2.4 निदेशकों की प्रोफाइल

निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल, जिसमें उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि, अनुभव का क्षेत्र आदि शामिल हैं, कॉर्पोरेट सिंहावलोकन खंड–वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफाइल के अंतर्गत दिया गया है।

2.5 निदेशकों की मुख्य दक्षताएँ

बोर्ड में योग्य सदस्य होते हैं जो बोर्ड और समिति की बैठकों में विचार–विमर्श में प्रभावी रूप से योगदान करने के लिए आवश्यक कौशल, क्षमता और विशेषज्ञता रखते हैं। निदेशकों द्वारा धारित कौशल, विशेषज्ञता और दक्षताओं का सारांश अनुलग्नक–I में दिया गया है। यह उल्लेख करना उचित है कि सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।

2.6 निदेशकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

नए निदेशक की भर्ती के समय उनके नाम एक अभिवादन पत्र दिया जाता है जिसके साथ निदेशक के रूप में निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों एवं दायित्वों का ब्यौरा होता है। बोर्ड के सदस्य अपनी आवश्यकता के आधार पर समय–समय पर विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। कंपनी और अन्य एजेंसियों/संस्थानों द्वारा समय–समय पर निदेशकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि नेतृत्व गुणों, ज्ञान और कौशल का स्तरोन्नयन किया जा सके। यह प्रशिक्षण, उन्हें क्षेत्र के साथ–साथ कंपनी की बेहतर समझ प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है। निदेशकों को समय–समय पर विधायी/विनियामक परिवर्तनों सहित भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट और आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तन/विकास के बारे में भी जानकारी दी जाती है। स्वतंत्र निदेशकों को प्रवेश के समय एक परिचय कार्यक्रम दिया जाता हैं जिसमें संगठन की संरचना, सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों, कंपनी के व्यवसाय मॉडल, व्यवसाय के जोखिम प्रोफाइल, स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका और जिम्मेदारियों आदि पर प्रकाश डाला जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए गए परिचय कार्यक्रम का विवरण वेबलिंक https://thdc.co.in/sites/default/files/FAMILIARIZATION_PROGRAMME.pdf पर दिया गया है।

2.7 वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशकों की नियुक्ति और कार्यकाल समापन

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए टीएचडीसीआईएल में निदेशक पद की नियुक्ति और कार्यकाल समापन का विवरण निम्नानुसार है:

निदेश का नाम	पदनाम में परिवर्तन	प्रभावी तिथि
श्री डी. वी. सिंह	कार्यकाल समाप्त पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	30.04.2021
श्री राज पाल	कार्यकाल समाप्त पूर्व नामिती निदेशक, भारत सरकार	30.04.2021
श्री विजय गोयल	सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाना	01.05.2021
श्री आर. के. विश्नोई	नियुक्ति अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाना निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाना	 06.08.2021 06.08.2021 01.11.2021
श्री जितेश जॉन	नियुक्ति भारत सरकार के नामिती निदेशक	21.06.2021
श्री विजय गोयल	कार्यकाल समाप्त पूर्व निदेशक (कार्मिक)	31.10.2021
श्री टी. वेंकटेश	कार्यकाल समाप्त पूर्व नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश	31.01.2022
डॉ. जय प्रकाश नाइक बी.	नियुक्ति स्वतंत्र निदेशक	10.11.2021
श्रीमती सजल झा	नियुक्ति स्वतंत्र निदेशक	10.11.2021
श्री केसरदेवसिंह डी. झाला	नियुक्ति स्वतंत्र निदेशक	28.03.2022

2.8 बोर्ड की बैठकें तथा उपस्थिति

निदेशक मंडल की बैठकें उचित अग्रिम सूचना देकर आमंत्रित की जाती हैं। किसी भी तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कभी–कभी सांविधिक उपबंधों के अनुपालन के अधीन बोर्ड की बैठकें अल्पावधि नोटिस पर भी आमंत्रित की जाती हैं। अत्यावश्यकता के मामले में, यदि विधि के तहत अनुमेय हो, तो प्रस्तावों को परिचालन के माध्यम से भी पारित किया जाता है। विस्तृत कार्यसूची, प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक विवरण आम तौर पर बोर्ड की बैठक से कम से कम एक सप्ताह पहले बोर्ड के सदस्यों के बीच एक निर्धारित प्रारूप में परिचालित किए जाते हैं ताकि बैठक में सार्थक, सुविज्ञ और केंद्रित चर्चा को सुविधाजनक बनाया जा सके। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की आठ (8) बैठकें आयोजित की गईं और दो बैठकों के बीच का अंतराल एक सौ बीस दिनों से अधिक नहीं था। उक्त बैठकें 10 अप्रैल, 2021 और 24 अप्रैल, 2021, 9 जून, 2021, 28 जुलाई, 2021, 21 अगस्त, 2021, 15 सितंबर, 2021, 23 अक्टूबर, 2021, 23 दिसंबर, 2021 और 14 फरवरी 2022 को आयोजित की गईं। सभी बैठकों के लिए आवश्यक गणपूर्ति (कोरम) मौजूद थी। नीचे दी गई तालिका में वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों में बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति और पिछली वार्षिक आम बैठक में उनकी उपस्थिति को दर्शाया गया है:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान हुई बैठक	बोर्ड बैठक		पिछली एजीएम (15 सितंबर 2021 को आयोजित) में उपस्थिति
		जिनमें भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत	
प्रकार्यात्मक निदेशक				
श्री आर. के. विश्नोई* **(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, दिनांक 06.08.2021 से)**	8	8	100%	भाग लिया
श्री जे. बेहेरा **निदेशक (वित्त)**	8	8	100%	भाग लिया
श्री डीवी सिंह **(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 30.04.2021 तक)**	1	1	100%	भाग नहीं लिया
श्री विजय गोयल **(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार, 01.05.2021-05.08.2021)** निदेशक (कार्मिक) 31.10.2021 तक)	6	6	100%	भाग लिया
नामिती निदेशक				
श्री ए. के. गौतम** **एनटीपीसी के नामिती निदेशक**	8	8	100%	भाग लिया
श्री यू. के. भट्टाचार्य **एनटीपीसी के नामिती निदेशक**	8	7	87.5%	भाग लिया
श्री जितेश जॉन **21.06.2021 से भारत सरकार के नामिती निदेशक**	6	6	100%	भाग लिया
श्रीमती सजल झा **10.11.2021 से स्वतंत्र निदेशक**	2	2	100%	भाग नहीं लिया
डॉ जयप्रकाश नाईक बी. **10.11.21 से स्वतंत्र निदेशक**	2	2	100%	भाग नहीं लिया
श्री राज पाल **30.04.2021 तक भारत सरकार के नामिती निदेशक**	1	1	100%	भाग नहीं लिया
श्री टी. वेंकटेश **उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक 31.01.2022 तक**	7	1	14.28%	भाग नहीं लिया
श्री केसरीदेवसिंह डी झाला*** **28.03.2022 से स्वतंत्र निदेशक**	0	0	–	भाग नहीं लिया

*निदेशक (कार्मिक), टीएचडीसीआईएल और निदेशक (तकनीकी), टीएचडीसीआईएल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

**31.05.2022 से निदेशक के पद पर नहीं रहे।

***28.03.2022 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त।

2.9 निदेशकों के पारिश्रमिक एवं प्रकटन :

आपकी कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी कंपनी है, अतः अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक निदेशकों और अन्य निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक के सबंध में निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार लिया जाता है और इसकी सूचना प्रशासनिक मंत्रालय को दी जाती है। कंपनी के प्रकार्यात्मक निदेशकों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक डीपीई द्वारा समय–समय पर जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार तय किया जाता है। बोर्ड ने दिनांक 14.02.2022 को आयोजित अपनी 222वीं बैठक में स्वतंत्र निदेशकों के बैठक में भाग लेने के शुल्क को 20,000 रूपए से बढ़ाकर 30,000 रूपए कर दिया।

इसके अलावा, अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 4 के अनुसार बोर्ड तथा समिति (बैठक में भाग लेने के शुल्क का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाता है) की बैठकों मे भाग लेने के लिए 30,000 रूपये प्रति बैठक की दर से बैठक में भाग लेने के शुल्क का भुगतान किया जाता है। सरकार और एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा पदेन क्षमता में नामित अंशकालिक निदेशकों को कंपनी से किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक/बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भुगतान किए गए शुल्क (जीएसटी को छोड़कर) का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

क्रमांक	स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क			कुल
		बोर्ड बैठक	समिति की बैठकें	स्वतंत्र निदेशकों की बैठक	
1.	श्रीमती सजल झा	40,000	40,000	30,000	1,10,000
2.	डॉ. जयप्रकाश नाईक बी.	40,000	70,000	30,000	1,40,000
3.	श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला	–	–	–	.

*28.03.2022 को नियुक्त

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक निदेशकों, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

पूर्णकालिक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(रुपये करोड़ में)

क्रमांक	निदेशक का नाम	पदनाम	वेतन और भत्ते#	बोनस/ कमीशन*	कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन पीआरपी	कुल योग
1.	श्री राजीव के. विश्नोई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	4648291	लागू नहीं	2481139	7129430
2.	श्री जे. बेहेरा	निदेशक (वित्त)	4183728	लागू नहीं	2225836	6409564
3.	श्री डी. वी. सिंह	पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1282008	लागू नहीं	0	1282008
4.	श्री विजय गोयल	पूर्व निदेशक (कार्मिक)	2909149	लागू नहीं	1767019	4676168
5.	सुश्री रश्मि शर्मा	कंपनी सचिव	1643675	लागू नहीं	458652	2102327

#: वेतन और भत्तों में अवकाश नकदीकरण शामिल है।

2.10 बोर्ड स्वतंत्रता

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) के उपबंधों के अनुसार स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करने की घोषणा की है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें कंपनी की वेबसाइट https://thdc.co.in/sites/default/files/Appointment_Independent_Directors.pdf पर उपलब्ध हैं।

2.11 केएमपी (प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 (1) तथा कंपनी (प्रबंधन से जुड़े कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 8 अनुसार निर्धारित वर्ग या वर्गों की प्रत्येक कंपनी के पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (के.एम.पी.) होने चाहिए। तदनुसार, टीएचडीसीआईएल निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नामोनिर्दिष्ट किए हैं।

1. श्री आर. के. विश्नोई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

2. श्री जे. बेहेरा, निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी

3. सुश्री रश्मि शर्मा, कंपनी सचिव

2.12 बोर्ड के सदस्यों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 5 जुलाई 2017 की अधिसूचना के तहत विनिर्दिष्ट किया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन की समीक्षा और मूल्यांकन तंत्र से संबंधित उपबंध भी सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी के गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन उनके आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय/लोक उद्यम विभाग द्वारा किया गया था। प्रकार्यात्मक निदेशकों का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है। लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सभी प्रकार्यात्मक निदेशकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन और स्वतंत्र निदेशकों के मूल्यांकन के लिए एक तंत्र निर्धारित किया है जिसका उपयोग बोर्ड के सदस्यों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है।

2.13 स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठकें

कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) और डीपीई द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए जारी कॉरपोरेट सुशासन संबंधी दिशानिर्देश, 2010 के अनुपालन में 31 मार्च, 2022 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई, जिसमें टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया। सेबी एलओडीआर, 2015 के विनियम 25 के अनुसार, 31 मार्च 2022 को आयोजित एक अलग बैठक में स्वतंत्र निदेशकों द्वारा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक और गैर–स्वतंत्र निदेशकों के रूप में बोर्ड के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया गया था।

2.14 बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया-विधियां:

i) **निर्णय लेने की प्रक्रिया:**

कंपनी ने दिशा–निर्देशों का सेट निर्धारित किया है तथा निदेशक मंडल की बैठकों के लिए सचिवालय मानकों का अनुसरण करती है ताकि सभी कॉर्पोरेट मामलों को पेशेवर तरीके से किया जा सके। इन दिशा–निर्देशों में बोर्ड की बैठकों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को संसूचित तथा कार्यकुशल तरीके से प्रणालीबद्ध बनाने की अपेक्षा की जाती है।

ii) **बोर्ड की बैठकों के लिए कार्यसूची मदों का निर्धारण तथा चयन:**

1. बैठक की तारीखों को आमतौर पर सभी निदेशकों के परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाता है, ताकि बोर्ड के सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। बोर्ड के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उपयुक्त रूप से नोटिस देकर बैठकें बुलाई जाती हैं। विस्तृत कार्यसूची टिप्पणी, प्रबंधन रिपोर्टें निदेशकों को पर्याप्त समय देते हुए अग्रिम रूप से परिचालित किए जाते हैं ताकि बैठक के दौरान सार्थक, संसूचित और केन्द्रित निर्णयों को लिया जा सकें।
2. विशिष्ट तत्काल व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, कभी–कभी लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में अल्पावधि नोटिस पर भी बैठकें बुलाई जाती हैं और नोटिस एवं एजेंडा की न्यूनतम अवधि का पालन करने के लिए यथासंभव प्रयास किए जाते हैं। कुछ मामलों में, प्रस्तावों को परिचालन द्वारा पारित किया जाता है जिन्हें बोर्ड की अगली बैठक में टिप्पणी किया जाता है।
3. जब कार्यसूची के साथ अधिक मात्रा में दस्तावेजों का संलग्न करना व्यावहारिक न हो तो ऐसे कागजात बैठक के दौरान पटल पर रखे जाते है। संबंधित प्रकार्यात्मक निदेशक और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कार्यसूची से संबंधित कागजात परिचालित किए जाते हैं।
4. कार्यसूची के कतिपय मामलों के संबंध में बोर्ड की बैठकों में प्रस्तुतीकरण दिए जाते हैं ताकि सदस्यगण पर्याप्त जानकारी और सूचना सहित निर्णय ले सकें।
5. बोर्ड के सदस्यों के पास कंपनी की सभी जानकारियां होती हैं। बोर्ड कार्यसूची में ऐसा कोई भी मुद्दा शामिल करने की सिफारिश कर सकता है जिसे वह महत्वपूर्ण समझता है। बोर्ड द्वारा विचार किए जाने वाले मामलों के संबंध में जब कभी भी आवश्यक समझा जाता है वरिष्ठ प्रबंधन से जुडे कार्मिकों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए बुलाया जाता है।

iii) **बोर्ड/समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को रिकार्ड करना:**

प्रत्येक बोर्ड/समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त के मसौदे को बैठक के बाद पन्द्रह दिन के भीतर सभी सदस्यों को उनकी अभ्युक्तियों हेतु परिचालित किया जाता है। निदेशक कार्यवृत्त के मसौदे पर इसके परिचालन की तारीख से सात दिन के भीतर अपनी अभ्युक्तियां देते हैं। निदेशकों से प्राप्त सभी अभ्युक्तियों की तुलनात्मक शीट अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/संबंधित समिति के अध्यक्ष को विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती है। प्रत्येक बोर्ड/समिति की कार्यवाही का अनुमोदित कार्यवृत्त, कार्यवृत्त पुस्तिका में विधिवत अभिलिखित किया जाता है।

iv) **अनुवर्ती कार्रवाई तंत्र:**

बोर्ड द्वारा जारी निदेशों को नियमित रूप से संबंधित विभागों को संप्रेषित किया जाता है एवं बोर्ड के निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट के रूप में बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से प्रस्तुत की जाती है जिससे अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावी रिपोर्टिंग तथा निर्णयों की समीक्षा करने में सहायता में मिलती है।

v) **अनुपालन:**

हमारा प्रयास है कि विधि, नियम एवं दिशा–निर्देशों के सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कंपनी अधिनियम, 2013 (जिस सीमा तक ये लागू हैं), सेबी विनियमन एवं दिशा–निर्देश, विभिन्न कानूनों के तहत सूचीबद्ध करार एवं सांविधिक अपेक्षाओं के सभी लागू प्रावधानों का कंपनी अनुपालन सुनिश्चित करती है। कंपनी बोर्ड और शेयरधारकों की बैठकों के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों का भी अनुपालन कर रही है। निदेशक मंडल समय–समय पर उसके समक्ष रखी गई कानूनी अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करता है।

vi) **निदेशक मंडल के समक्ष रखी जाने वाली सूचनाएं:**

- अनुमोदन और सूचना हेतु, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की सभी परियोजनाओं से संबंधित सभी तकनीकी मामले।
- वार्षिक परिचालन योजना, बजट और संगत अद्यतन जानकारी।
- पूंजीगत बजट तथा संगत अद्यतन जानकारी।
- निधियां जुटाने संबंधी प्रस्ताव।
- वित्तीय सहायता की मंजूरी के लिए प्रस्ताव।
- कंपनी के तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम।
- पिछली बोर्ड बैठकों, कंपनी की समिति की बैठकों और सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त।
- निदेशक मंडल के स्तर के नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती संबंधी जानकारी सहित निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति या कार्यकाल समापन की जानकारी।
- लेखापरीक्षा समिति तथा बोर्ड की अन्य समितियों की बैठक के कार्यवृत्त।
- बोर्ड की शक्तियों के अनुसार सामान्य व्यवसाय मामले।
- बड़े निवेश, सहायक कंपनियों का निर्माण, संयुक्त उपक्रम और रणनीतिक गठजोड़।
- खरीदारी/कार्य/नामांकन आधार पर अवार्ड किए गए ठेकों से संबंध में तिमाही सूचना।
- परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की स्थिति।
- विभिन्न कानूनों के अनुपालन की तिमाही रिपोर्ट।
- निदेशकों की उनके निदेशक पद के बारे में रूचि का प्रकटीकरण।
- महत्वपूर्ण पूंजी निवेश के प्रस्ताव या बड़े ठेके अवार्ड करना।
- मध्यस्थता मामलों की स्थिति।
- महत्वपूर्ण श्रम समस्याएं और उनके प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण विकास जैसे वेतन समझौते पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि।

- कारण बताओं, मांग, अभियोजन नोटिस और दंड नोटिस, यदि कोई हो, जो महत्वपूर्ण हैं,।
- घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई भी सामग्री बहिःस्राव या प्रदूषण की समस्या, यदि कोई हो।
- कोई भी मुद्दा, जिसमें पर्याप्त प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद देयता दावे शामिल हैं, जिसमें कोई भी निर्णय या आदेश शामिल है, जो कंपनी के आचरण पर सख्ती से पारित हो सकता है या किसी अन्य उद्यम के बारे में प्रतिकूल दृष्टिकोण ले सकता है जिसका कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तन एवं उसके कारणों सहित पद्धतियां।
- सूचीबद्ध इकाई और उसके प्रचालनात्मक संभागों या व्यावसायिक खंडों के लिए तिमाही परिणाम।
- सूचीबद्ध इकाई में और उसके द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई भी महत्वपूर्ण चूक, या सूचीबद्ध इकाई द्वारा विक्रय किए गए माल के लिए महत्वपूर्ण गैर–भुगतान।
- ऐसे लेन–देन जिनमें सद्भावना, ब्रांड इक्विटी या बौद्धिक संपदा के लिए भारी भुगतान शामिल है।
- निवेश, सहायक कंपनियों, परिसंपत्तियों, जो भौतिक प्रकृति के हैं और व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं हैं, की बिक्री।
- लागू कानूनों की अपेक्षाओं के अनुसार बोर्ड की सूचना या अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित कोई अन्य सूचना।

3. **निदेशक मंडल की समितियां:**

बोर्ड या तो पूर्ण बोर्ड के रूप में या विशिष्ट प्रचालनात्मक क्षेत्रों की देखरेख के लिए गठित विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है। बोर्ड की प्रत्येक समिति इसके विचारार्थ विषयों द्वारा निर्देशित होती है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर), 2015 में यथाविनिर्दिष्ट समिति की संरचना, कार्यक्षेत्र और शक्तियों को परिभाषित करती है। समितियां नियमित अंतराल पर बैठक करती हैं और विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और उन्हें सौंपे गए अधिकार के भीतर सुविज्ञ निर्णय लेती हैं। कंपनी की पांच बोर्ड स्तरीय समितियां हैं जो इस प्रकार हैं:

क. लेखापरीक्षा समिति

ख. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

ग. हितधारक संबंध समिति

घ. जोखिम प्रबंधन समिति

ङ. सीएसआर तथा सततता संबंधी समिति

कंपनी सचिव, बोर्ड की उप–समितियों के सचिव के रूप में कार्य करता है।

3.1 लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति की संरचना, कार्यक्षेत्र इत्यादि कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर), 2015 और कॉर्पोरेट सुशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

3.1.1 लेखापरीक्षा समिति की संरचना

31 मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	डॉ. जयप्रकाश नाईक बी, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्रीमती सजल झा, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	ए. के. गौतम, एनटीपीसी नामिती निदेशक	सदस्य

निदेशक (वित्त)/मुख्य वित्त अधिकारी, सदैव विशेष आमंत्रित के रूप में बैठक में भाग लेते हैं। कार्यकारी निदेशकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों और संबंधित महाप्रबंधकों को विशेष रूप से लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थित होने की आवश्यकता पड़ने पर विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है, जैसा कि लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा तय किया जा सकता है। कंपनी सचिव, लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

3.1.2 लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

i. कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश;

ii. लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और प्रदर्शन, और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना;

iii. वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जांच;

iv. संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी के लेनदेन का अनुमोदन या कोई अनुवर्ती संशोधन;

v. अंतर–कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की संवीक्षा;

vi. कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां कहीं भी आवश्यक हो;

vii. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;

viii. सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से जुटाए गए धन के अंतिम उपयोग की निगरानी करना;

ix. सीएण्डएजी लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना। संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना;

x. यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और उसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण की निगरानी करना;

xi. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की मंजूरी;

xii. विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन, वार्षिक वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना;

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ग) के तहत बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामले,

(ख) लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो और उनके कारण,

(ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय के अभ्यास के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखा प्रविष्टियां,

(घ) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन,

(ङ) वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीबद्धता एवं कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन,

(च) किसी भी संबंधित पक्षकार लेनदेन का प्रकटीकरण,

(छ) मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय,

xiii. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना;

xiv. प्रबंधन के साथ, किसी निर्गम (सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान्य निर्गम, आदि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/प्रयोग के विवरण की समीक्षा करना, प्रस्ताव दस्तावेज/विवरणिका/सार्वजनिक या अधिकार निर्गम की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत नोटिस और रिपोर्ट, और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना;

xv. लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और प्रदर्शन, और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना;

xvi. प्रबंधन के साथ, सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना;

xvii. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग और विभाग के प्रमुख अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना;

xviii. आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई;

xix. आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना तथा जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है और मामले को बोर्ड को सूचित करना;

xx. लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा, लेखा परीक्षा की प्रकृति और दायरे के साथ–साथ चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के बाद की चर्चा;

xxi. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों की जांच करना।

xxii. व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कामकाज सहित अच्छे कॉर्पोरेट सुशासन के कार्यान्वयन की समीक्षा करना

xxiii. उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति की मंजूरी,

xxiv. सूचीबद्ध इकाई और उसके शेयरधारकों पर विलय, डीमर्जर, समामेलन आदि से जुड़ी योजनाओं के औचित्य, लागत–लाभ और प्रभाव पर विचार और टिप्पणी करना।

xxv. बोर्ड द्वारा इसे संदर्भित कोई भी मामला या कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियम, सेबी (एलओडीआर) और डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा संशोधित कोई अन्य विचारार्थ विषय।

3.1.3 लेखापरीक्षा समिति की शक्तियां

अपनी भूमिका के अनुरूप, लेखा परीक्षा समिति शक्तियों का प्रयोग करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- लेखा परीक्षा समिति के पास ऊपर निर्दिष्ट या बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार होगा और इस उद्देश्य के लिए, कंपनी के रिकॉर्ड में निहित जानकारी तक पूरी पहुंच होगी।
- किसी भी कर्मचारी के बारे में और उससे जानकारी प्राप्त करना।
- यदि आवश्यक हो तो बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना।
- यदि आवश्यक समझे तो प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- किसी भी मामले पर लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा।

3.1.4 लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा

लेखा परीक्षा समिति निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा करेगी:

- वित्तीय स्थिति और प्रचालन के परिणामों की प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण,
- सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र,
- आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, और
- मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, पदच्युति और पारिश्रमिक की शर्तें लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के अध्यधीन होंगी।

3.1.5 बैठकें और उपस्थिति

वर्ष 2021–22 के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की एक बैठक आयोजित की गई और समिति के सदस्यों की उपस्थिति सहित विवरण इस प्रकार है:

सदस्य का नाम	बैठक की तारीख 14.02.2022	कार्यकाल के दौरान हुई कुल बैठकें	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत
डॉ. जयप्रकाश नाईक बी.	भाग लिया	1	1	100
श्रीमती सजल झा	भाग लिया	1	1	100
श्रीमती ए. के. गौतम	भाग लिया	1	1	100

टिप्पणी: निदेशक (वित्त), टीएचडीसीआईएल सभी लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के लिए स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं।

3.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178, सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 19 और डीपीई दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसार, एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन किया गया है।

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल और पारिश्रमिक भी भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। चूंकि निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, तदनुसार, निदेशकों का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के तहत सरकारी कंपनियों को धारा 178 (2), (3) और (4) के उपबंधों से छूट दी है, जिनमें निदेशकों की योग्यता, सकारात्मक विशेषता, स्वतंत्रता और वार्षिक मूल्यांकन तथा निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति निर्धारित करने के लिए मानदंड तैयार करने अपेक्षा निर्दिष्ट हैं।

3.2.1 नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना

31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	श्रीमती सजल झा, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	डॉ. जयप्रकाश नाईक बी., स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्री जितेश जॉन, नामिती निदेशक, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
4.	श्री यू.के. भट्टाचार्य, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड	सदस्य

3.2.2 बैठक और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की एक (1) बैठक हुई। समिति की बैठक में उपस्थिति सहित बैठक का विवरण इस प्रकार है:

सदस्य का नाम	बैठक की तारीख 14.02.2022	कार्यकाल के दौरान हुई कुल बैठकें	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत
श्रीमती सजल झा	1	1	1	100%
डॉ जयप्रकाश नाईक बी.	1	1	1	100%
श्री जितेश जॉन	1	1	1	100%
श्री यू.के. भट्टाचार्य	1	1	1	100%

3.3 हितधारक संबंध समिति

इस समिति का गठन सेबी (एलओडीआर) और कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुरूप किया गया है। यह कंपनी के प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों पर विचार करती है और उनका समाधान करती है, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, लाभांश की प्राप्ति न होना आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं। समिति शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन और सूचीबद्ध इकाई द्वारा किए गए उपायों और पहलों की भी समीक्षा करती है।

3.3.1 हितधारक संबंध समिति की संरचना

31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार हितधारक संबंध समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	डॉ. जयप्रकाश नाईक बी., स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री ए. के. गौतम, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड	सदस्य
3.	श्री जे. बेहेरा, निदेशक (वित्त)	सदस्य

3.3.2 अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम

निदेशक मंडल ने सेबी (एलओडीआर) के विनियम 6 के संदर्भ में सुश्री रश्मि शर्मा, कंपनी सचिव को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

3.3.3 केंद्रीकृत वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली-स्कोर्स

कंपनी में सेबी की केंद्रीकृत वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली अर्थात् स्कोर्स का उपयोग किया जाता है। स्कोर्स के माध्यम से, बॉन्डधारक कंपनी के विरूद्ध अपनी शिकायत, समाधान हेतु दर्ज कर सकते हैं। दर्ज की गई प्रत्येक शिकायत की स्थिति ऑनलाइन भी देखी जा सकती है। सेबी शिकायतों के पर्याप्त रूप से निवारण पर संतुष्ट होने पर शिकायतों का निपटान करता है।

3.3.4 निवेशक शिकायतें

निवेशक की शिकायतों के समाधान के लिए, आपकी कंपनी ने सेबी की वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली अर्थात् स्कोर्स (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली) में स्वयं को पंजीकृत किया है। 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी को निवेशकों की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

3.4 जोखिम प्रबंधन समिति

सेबी (एलओडीआर) के नियम 21 के अनुसार, निम्नलिखित के लिए जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है:

- जोखिम प्रबंधन के तहत साइबर सुरक्षा सहित जोखिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देना;
- फ्रेमवर्क; बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन योजना/ढांचे की निगरानी और समीक्षा;
- बोर्ड को मूल्यांकित जोखिम और जोखिम शमन हेतु आवश्यक कार्रवाई/पहले से ही की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करना और
- बोर्ड द्वारा समय–समय पर निर्देशानुसार कोई अन्य मामला उठाना।

3.4.1 जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना

31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्यों का नाम	पद
1.	श्री यू. के. भटटाचार्य, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड	अध्यक्ष
2.	श्री जे. बेहेरा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्रीमती सजल झा, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

3.5 सीएसआर तथा सततता समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की अपेक्षाओं और सततता (एसडी) पर डीपीई दिशानिर्देश के अनुसार सीएसआर एवं सततता समिति का गठन किया गया है। सीएसआर एवं सततता समिति बोर्ड द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों पर कार्रवाई करने के अलावा, सीएसआर और सततता नीति में निर्दिष्ट गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली राशि के साथ बोर्ड को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सततता नीति तैयार करती है और सिफारिश करती है। सीएसआर और सततता पर टीएचडीसीआईएल की नीति वेब लिंक https://thdc.co.in/sites/default/files/CSR_Policy2021.pdf पर देखी जा सकती है।

3.5.1 सीएसआर एवं सततता समिति की संरचना

कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार बोर्ड की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में तीन या अधिक निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा। 31 मार्च, 2022 तक, सीएसआर और सततता समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्यों का नाम	पद
क)	डॉ. जयप्रकाश नाईक बी., स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ख)	श्री यू. के. भटटाचार्य, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड	सदस्य
ग)	श्री जितेश जॉन, नामिती निदेशक, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य

3.5.2 बैठक और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान सीएसआर एवं सततता समिति की एक (1) बैठक आयोजित की गई। समिति की बैठक में उपस्थिति सहित बैठक का विवरण इस प्रकार है:

सदस्य का नाम	बैठक की तारीख 31.03.2022	कार्यकाल के दौरान हुई कुल बैठकें	बैठकों के दौरान हुई कुल बैठकें	उपस्थिति प्रतिशत
डॉ. जयप्रकाश नाईक बी	1	1	1	100%
श्री जितेश जॉन	1	1	1	100%
श्री यू. के. भट्टाचार्य	1	1	1	100%

3.5.3 सीएसआर तथा सततता समिति के कार्य

बोर्ड स्तर की सीएसआर तथा सततता समिति कंपनी के सीएसआर और सततता कार्यक्रम/गतिविधियों के कार्यान्वयन तथा निगरानी पर नजर रखती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सीएसआर तथा सतत परियोजनाओं/गतिविधियों तथा वार्षिक योजना/बजट पर विचार करना।
- आवधिक सीएसआर एवं सततता प्रगति रिपोर्ट/स्थिति रिपोर्ट पर विचार करना।
- सीएसआर एवं सततता गतिविधियों की मानीटरिंग करना।
- सीएसआर एवं सततता परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार करना।
- अन्य कोई कार्य जिसे आवश्यक समझा जाए।

3.6 स्थायी समिति

विद्युत मंत्रालय के दिनांक 20.10.2021 के आदेश संख्या 11/51/2021–एनएचपीसी के अनुरूप, सरकार की प्राथमिकताओं को व्यक्त करते हुए जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों के साथ भारत सरकार के नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया गया था। बोर्ड स्तर की स्थायी समिति का गठन और भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां नीचे दी गई हैं:

3.6.1 स्थायी समिति की संरचना

31 मार्च, 2022 को स्थायी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम
1.	श्री जे. बेहेरा, निदेशक (वित्त)
2.	श्री यू. के. भट्टाचार्य, एनटीपीसी के नामिती निदेशक
3.	श्री जितेश जॉन, भारत सरकार के नामिती निदेशक

कंपनी सचिव बोर्ड स्तर की स्थायी समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

3.6.2 समिति की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

स्थायी समिति की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं:

(क) राष्ट्रीय स्तर के मिशनों की समय–समय पर समीक्षा करना और इसके संबंध में सरकार के निर्देशों की समीक्षा करना और पीएसयू के रूप में उनके प्रति क्या योगदान किया जा सकता है।

(ख) भारत सरकार के निर्देशों और दिशानिर्देशों के साथ सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना

(ग) अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करना और राष्ट्रीय मिशनों के कार्यान्वयन के लिए सुझाव/दिशा–निर्देश देना

(घ) मेक इन इंडिया मानदंडों, जीईएम से संबंधित निर्देश और विभिन्न राष्ट्रीय मिशनों से संबंधित निर्देश जैसे स्वच्छ भारत मिशन आदि के अनुपालन मुद्दों को संभालना।

4. आम निकाय की बैठकें

4.1 वार्षिक आम सभा

पिछली तीन वार्षिक आम सभा की बैठकों की तरीख, समय और स्थान के साथ–साथ इनमें पारित विशेष संकल्पों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वार्षिक आम बैठक	15 सितंबर, 2021 को आयोजित 33वीं वार्षिक आम सभा की बैठक	22 सितंबर, 2020 को आयोजित 32वीं वार्षिक आम सभा की बैठक	27 सितंबर, 2019 को आयोजित 31वीं वार्षिक आम सभा की बैठक
समय	अपराहन 3.00 बजे	मध्याहन 12:00 बजे	अपराहन 6:00 बजे
स्थान	टीएचडीसीआईएल, एनसीआर कार्यालय, प्लॉट संख्या 20, सेक्टर–14, कौशाम्बी, गाजियाबाद – 201010 (उत्तर प्रदेश)	वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड,प्रथम तल, ईस्ट टावर एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामाह मार्ग, नई दिल्ली
विशेष कार्य	• वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करने के लिए • निजी प्लेसमेंट के आधार पर 3000 करोड़ रूपये तक के कॉर्पोरेट बॉण्ड्स निर्गम को अनुमोदित करने के लिए।	• वित्त वर्ष 2020–21 के लिए लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना। • सुरक्षित परिवर्तनीय–गैर संचयी बांड प्राइवेट–गैर प्लेसमेंट आधार पर जारी करना।	• वित्त वर्ष 2019–20 के लिए लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना। • सुरक्षित परिवर्तनीय–गैर संचयी बांड प्राइवेट–गैर प्लेसमेंट आधार पर जारी करना।

4.2 पोस्टल बैलेट के माध्यम से पारित विशेष संकल्प

विगत वर्ष के दौरान पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया था। पोस्टल बैलेट के माध्यम से किसी विशेष संकल्प को पारित करने के लिए कोई तत्काल प्रस्ताव नहीं है।

5. प्रकटीकरण

क) सहायक कंपनियां

टस्को लिमिटेड, टीएचडीसीआईएल और यूपीनेडा की एक संयुक्त उद्यम कंपनी को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क (ओं)/परियोजनाओं के विकास, प्रचालन और रखरखाव के लिए 12.09.2020 को निगमित किया गया है। संयुक्त उद्यम कंपनी में टीएचडीसीआईएल और यूपीनेडा के बीच क्रमशः 74:26 के अनुपात में इक्विटी शेयरधारिता साझा की जाती है। सहायक कंपनी की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त सूचना के लिए कंपनी के निदेशक मंडल के समक्ष रखे जाते हैं।

ख) सचिवीय लेखापरीक्षा

मेसर्स पीएसआर मूर्ति, कार्यरत कंपनी सचिव, नई दिल्ली ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा की है और कंपनी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। शेयरधारकों की जानकारी के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट में सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है।

ग) महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण:

वर्ष 2020-21 के अंत तक प्रक्रियाधीन/ जांचाधीन मामलों की संख्या	वर्ष 2021-22 के दौरान दर्ज मामलों की संख्या	वर्ष 2021-22 के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या	वर्ष 2021-22 के अंत तक प्रक्रियाधीन मामलों की संख्या
0	1	1	0

घ) सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति

कंपनी में निदेशकों और कर्मचारियों द्वारा प्रबंधन को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदेहास्पद जालसाजी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिक मूल्यों के उल्लंघन, जो कंपनी के व्यवसाय या प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकते हैं, की जानकारी देने में सक्षम बनाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सचेतक नीति है। नीति में निर्दिष्ट रीति में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दायर की जा सकती है। यह कर्मचारियों को उत्पीड़न से सुरक्षोपाय देता है जो इस तंत्र का लाभ उठाकर अध्यक्ष या लेखा परीक्षा समिति तक भी सीधे शिकायत कर सकते हैं। नीति में धोखाधड़ी को रोकने के लिए तंत्र भी शामिल है।

- इसमें सद्भावपूर्वक सचेत करने वाले कर्मचारियों की उत्पीड़न से रक्षा करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की गई है।
- जानबूझ कर झूठा आरोप लगाने वाले कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
- कंपनी में नैतिक आदर्श और कानूनी व्यापारिक आचरण के उच्चतम संभव मानकों को सुगम बनाना।

कंपनी में अनैतिक/अनुचित आचरण के मामलों की रिपोर्ट करने और उसकी जांच करने और उसे ठीक करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए एक परिभाषित और स्थापित व्हिसल ब्लोअर नीति (सतर्क तंत्र) है। व्हिसल ब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट https://thdc.co.in/sites/default/files/WhistleBlowerPolicyNew.pdf पर उपलब्ध है। इस नीति के उपबंध, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) और सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 22 के उपबंधों के अनुरूप हैं।

वर्ष 2021–22 के दौरान व्हिसल ब्लोअर नीति के तहत कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

ङ) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 एवं कॉर्पोरेट सुशासन पर डीपीई के दिशानिर्देश:

कंपनी ने लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट सुशासन पर जारी सेबी (दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाओं की लिस्टिंग) विनियम, 2015 की आवश्यकताओं का व्यापक अनुपालन किया है। विगत तीन वर्षों के दौरान कंपनी पर स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) या बोर्ड या किसी सांवधिक प्राधिकरण द्वारा गैर–अनुपालन के लिए कोई दंड नहीं लगाया गया या निंदा नहीं की गई।

च) लेखांकन व्यवहार

प्रबंधन के दृष्टिकोण से वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए सभी लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण किया जा रहा है।

छ) संबंधित पक्षकार के साथ लेन-देन:

कंपनी ने संबंधित पक्षकार के साथ लेनदेन (आरपीटी) नीति तैयार की है जिसमें संबंधित पक्षकार के साथ लेनदेन के महत्व निर्धारित करने और संबंधित पक्षकार के साथ लेनदेन करने के मानदंड शामिल हैं। आरपीटी नीति वेब लिंक: https://thdc.co.in/sites/default/files/Policy_10Jun22.pdf पर उपलब्ध है। संबंधित पक्षकार के साथ लेनदेन का विवरण बोर्ड की रिपोर्ट के भाग के रूप में एओसी–2 के रूप में दिया गया है।

ज) मूर्त अनुषंगी

कंपनी की सेबी (एलओडीआर) के विनियम 16(1)(ग) के तहत यथापरिभाषित कोई 'मूर्त अनुषंगी' नहीं थी।

6. जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने जून, 2012 में "जोखिम प्रबंधन मैनुअल" अपनाया। यह मैनुअल, कंपनी में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में एकरूप और स्रोत जोखिम प्रबंधन प्रणाली बनाए रखता है। 'जोखिम प्रबंधन योजना' के विकास एवं कार्यान्वयन के लिए मैनुअल के अनुसार वित्त, नियोजन और डिजाइन इत्यादि से सदस्यों को लेकर जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई थी। जोखिम प्रबंधन योजना की प्रभावशीलता में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं।

मैनुअल के अनुरूप जोखिम प्रबंधन योजना कार्यान्वित की जा रही है। प्रत्येक परियोजना ने जोखिम रजिस्टर खोला है और "जोखिम प्रबंधन योजना" एवं "जोखिम प्रबंधन मैनुअल" में उल्लेख किए गए अनुसार कार्यकलापों के समन्वय के लिए नोडल जोखिम अधिकारी नामित किया है। जोखिम की किसी घटना के होने पर उसका रिकार्ड 'जोखिम अनुभव रजिस्टर में रखा जा रहा है, जिसमें भविष्य में जोखिम की घटना में कमी करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। कंपनी द्वारा समय–समय पर कंपनी के जोखिम प्रबंधन की समीक्षा की जाती है। बोर्ड भी नियमित आधार पर जोखिम प्रबंधन की समीक्षा भी करता है।

7. रिकार्ड प्रबंधन प्रणाली

टीएचडीसी ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के दिशानिर्देशों के अनुरूप रिकार्ड प्रबंधन मैनुअल अंगीकार किया है। कंपनी के अभिलेख प्रबंधन की देखरेख के लिए मुख्य अभिलेख अधिकारी नियुक्त किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ ऋषिकेश में एक अलग अभिलेख कार्यालय बनाया गया है।

8. संचार के माध्यम

कंपनी शेयरधारकों/निवेशकों और संचार के अधिकारों को समग्र कॉर्पोरेट सुशासन ढांचे के प्रमुख तत्वों के रूप में स्वीकार करती है और इसलिए शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर, कुशल और प्रासंगिक संचार पर जोर देती है। कंपनी अपने 'शेयरधारकों के साथ अपनी वार्षिक रिपोर्ट, सामान्य बैठक और अपनी वेबसाइट पर और स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से प्रकटीकरण के जरिए संवाद करती है। कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं का उल्लेख प्रत्येक वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में भी किया जाता है, जिसे सदस्यों और अन्य लोगों को परिचालित किया जाता है। कंपनी के संबंध में निवेशक से संबंधित जानकारी, घोषणाएं और नवीनतम अपडेट कंपनी की वेबसाइट www.thdc.co.in पर देखे जा सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्टॉक एक्सचेंजों में समय–समय पर किए गए कॉर्पोरेट प्रकटीकरण
- वित्तीय परिणाम
- आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियां, संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों के समक्ष प्रस्तुतियां।
- बांडधारक जानकारी
- तिमाही कॉर्पोरेट सुशासन रिपोर्ट

कंपनी के तिमाही वित्तीय परिणामों के सार स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किए जाते हैं और राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। कंपनी समय–समय पर महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट विकास पर प्रेस विज्ञप्तियां और कॉर्पोरेट प्रस्तुतियां भी देती है और इसे इसकी वेबसाइट www.thdc.co.in पर भी प्रदर्शित किया जाता है। वर्ष 2021–22 के दौरान, तिमाही परिणामों को निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है:

तिमाही	प्रकाशन की तिथि	समाचार पत्र
II	26.10.2021	इंडियन एक्सप्रेस
III	16.02.2022	इंडियन एक्सप्रेस
IV	15.05.2022	इंडियन एक्सप्रेस

जून 2021 को समाप्त तिमाही के लिए कोई प्रकाशन नहीं किया गया था क्योंकि तिमाही वित्तीय परिणामों के प्रकाशन की आवश्यकता दिनांक 07.09.2021 से लागू हुई थी।

9. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

आपकी कंपनी सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार में आती है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत इसका संसदीय निरीक्षण भी किया जा सकता है।

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है जो लेखापरीक्षकों द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा की रीति–नीति के बारे में उन्हें निदेश देते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को सांविधिक लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर टिप्पणी करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक आपकी कंपनी की लेखाओं का परीक्षण की दृष्टि से लेखापरीक्षा करते हैं तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। कंपनी की लेखा परीक्षित रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के अंदर संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

10. कारपोरेट आचार नीति

आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने कारपोरेट अच्छे सुशासन पहल के भाग के रूप में कारपोरेट आचार नीति को अंगीकृत किया है। आचार नीति का प्रयोजन कंपनी के कर्मचारियों को अपने सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उच्चतम व्यावसायिक नैतिकता, अच्छे सुशासन, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के मानकों का पालन करने के लिए मार्गनिर्देश प्रदान करना है।

11. निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता

कंपनी कार्य व्यवहार के उच्चतम नैतिक मूल्यों के अनुसार व्यापार करने के लिए प्रतिबद्ध है और लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों का अनुपालन कर रही है। कंपनी में बोर्ड सदस्यों जिसमें सरकार द्वारा नामित सदस्य सहित स्वतंत्र निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन के कार्मिक शामिल हैं, के मामलों के प्रबंधन की प्रक्रिया में नैतिकता एवं पारदर्शिता बढ़ाने के मद्देनजर निदेशकों एवं इसके वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों (संहिता) के लिए आचार संहिता लागू है। निदेशक मंडल ने कंपनी के मामलों को संचालित करने में पारदर्शिता की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, कंपनी के मिशन और लक्ष्यों के अनुरूप बोर्ड के सदस्यों तथा प्रबंधन से जुड़े वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए एक पृथक आचार संहिता तथा नीति निर्धारित की है। आचार संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट https://thdc.co.in/sites/default/files/CodeBusinessConduct&Ethics.pdf पर उपलब्ध है।

बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के अपर महाप्रबंधक स्तर तक के वरिष्ठ प्रबंधन से व्यापारिक आचार संहिता और नैतिकता वार्षिक पुष्टि मांगी जाती है। बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन अर्थात प्रमुख कार्यपालकों ने समीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा नीचे दी गई है।

डीपीई के दिशानिर्देशों के खंड 3.4.2 के तहत यथापेक्षित घोषणा

'बोर्ड के सभी सदस्यों ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि कर दी है'।

(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

12. कारपोरेट सुशासन प्रमाण पत्र

डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा जारी कारपोरेट सुशासन अनुपालन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है, जो इस रिपोर्ट का भाग है।

13. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

जैसा कि सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17(8) के तहत अपेक्षित है, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र कॉर्पोरेट सुशासन रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

14. निवेशकों के लिए सूचना

14.1. स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के कॉर्पोरेट बांड निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है:

बीएसई लिमिटेड	एनएसई लिमिटेड	
पता: फिरोज जीजीभाई टावर्स, दलाल स्टीट, मुंबई–400 001	**पता:** एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नंबर, सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा पूर्व, मुंबई–400 051	
क्रेडिट रेटिंग		
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला	**आईएसआईएन**	**क्रेडिट**
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला - I	INE812V07013	इंडिया रेटिंग्स, एए स्टेबल केयर रेटिंग्स लिमिटेडः एए स्टेबल
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला- II	INE812V07021	इंडिया रेटिंग्स, एए स्टेबल आईसीआरएः एए स्टेबल
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला -III	INE812V07039	केयर रेटिंग्सः एए स्टेबल आईसीआरएः एए स्टेबल
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला -IV	INE812V07047	आईसीआरएः एए स्टेबल केयर रेटिंग्स लिमिटेडः एए स्टेबल
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला -V	INE812V07054	इंडिया रेटिंग्सः एए स्टेबल केयर रेटिंग्स लिमिटेडः एए स्टेबल
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला -VI	INE812V07062	इंडिया रेटिंग्सः एए स्टेबल केयर रेटिंग्स : एए स्टेबल

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को नियत तारीख से पहले कर दिया गया है।

14.2 रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर ऐजेंट्स

केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड
सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर बी, प्लॉट 31 एवं 32
फाइनेंनसियल डिस्ट्रिक्ट जिला, नानकरामगुडा, सेरलिंगमपल्ली,
हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत–500 032
ई–मेलः gopalkrishna.kvs@karvy.com

14.3 डिबेंचर ट्रस्टी

विस्त्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड
छठा तल, दि आईएल एंड एफएस फाइनेंसियल सेंटर,
प्लॉट सी–22, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट मुम्बई

14.4. लाभांश का भुगतान

लाभांश का वर्ष	भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि (करोड में)	वार्षिक आम बैठक की तारीख, जिसमें लाभांश घोषित किया गया
2019–20	402.71	22 सितंबर, 2022
2020–21	305.04	अंतरिम लाभांश 20 फरवरी, 2021
2020–21	190.84	अंतिम लाभांश15 सितंबर, 2021
2021–22	317.36	अंतरिम लाभांश 14 फरवरी, 2022
2021–22	197.94	अंतिम लाभांश की घोषणा 20 सितंबर, 2022 को आयोजित की जाने वाली वार्षिक आम बैठक में की जानी है।

14.5. अंशधारिता पैटर्न

क्र. सं.	श्रेणी	कुल शेयर	इक्विटी का %
1	एनटीपीसी लिमिटेड	27309406	74.496
2	उत्तर प्रदेश के राज्यपाल	9349401	25.504
3	अन्य नामिती शेयरधारक	10	–
	कुल	36658817	100

14.6. निदेशकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या

निदेशक 31.03.2022 के अनुसार	शेयरों की संख्या
श्री आर. के. विश्नोई	**शून्य**
श्री जे. बेहेरा	**शून्य**
श्री ए. के. गौतम*	**शून्य**
श्री यू. के. भटटाचार्य	**शून्य**
श्री जितेश जॉन	**शून्य**
श्रीमती सजल झा	**शून्य**
डॉ. जयप्रकाश नाईक बी.	**शून्य**
श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला	**शून्य**

* 31.05.2022 को निदेशक पद से हट गए।

15. पत्राचार के लिए पता

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाईपास रोड,
ऋषिकेश–249201, उत्तराखंड

पत्राचार के लिए फोन नं. तथा ई–मेल संदर्भ नीचे दिए गए हैं

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी	
नाम	**सुश्री रश्मि शर्मा**
कार्यालय से संपर्क करने के लिए टेलीफोन नं.	0135–2439309 / 2473403 फैक्स– 0135–2439442
ई–मेल	rashmi@thdc.co.in
लोक शिकायतों के लिए	
नाम	श्री संदीप सिंघल, मुख्य महाप्रबंधक (प्रभारी, एनसीआर) / निदेशक, लोक शिकायत, टीएचडीसीआईएल
संपर्क	0120–2816800–6900
ई–मेल	ssinghal@thdc.co.in

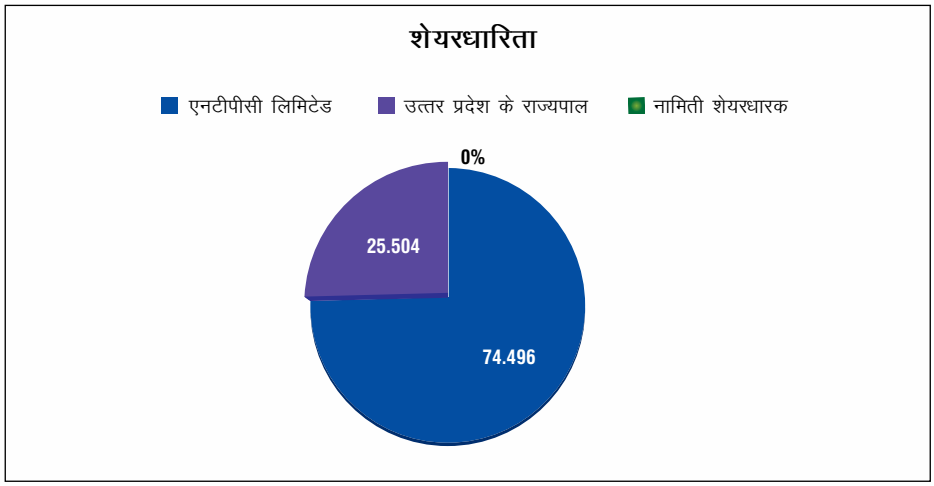

निदेशकों का कौशल/क्षमता मैट्रिक्सः

क्रमांक	निदेशक के नाम	पद	तकनीकी	ऊर्जा विद्युत क्षेत्र	वित्तीय एवं लेखांकन	अर्थशास्त्र	मानव संसाधन प्रबंधन	विनियामक ढांचा और विधि	प्रबंधन	पर्यावरण	शैक्षणिक	अनुसंधान और विकास
1.	श्री आर. के. विश्नोई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	☑	☑			☑	☑	☑	☑		☑
2.	श्री जे. बेहेरा	निदेशक (वित्त)		☑	☑			☑	☑			
3.	श्री ए. के. गौतम*	एनटीपीसी नामिती निदेशक			☑	☑		☑	☑		☑	
4.	श्री यू. के. भट्टाचार्य	एनटीपीसी नामिती निदेशक	☑	☑				☑	☑	☑		☑
5.	श्री जितेश जॉन	नामिती निदेशक, भारत सरकार	☑	☑	☑	☑		☑				
6.	श्रीमती सजल झा	स्वतंत्र निदेशक						☑	☑			
7.	डॉ जयप्रकाश नाईक बी.	स्वतंत्र निदेशक									☑	☑
8.	श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला	स्वतंत्र निदेशक							☑	☑	☑	

*31.05.2022 से निदेशक पद पर नहीं रहे।

अनुलग्नक-II

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान और वित्तीय वर्ष 2021–22 से पहले पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी माननीय राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुपालन की अनुसूचीः

वर्ष	माननीय राष्ट्रपति के निर्देशों की विषय-वस्तु	अनुपालन
2018-19	वेतन संशोधन के लिए माननीय राष्ट्रपति का निर्देश	अनुपालन किया गया
2019-20	**शून्य**	**शून्य**
2020-21	**शून्य**	**शून्य**
2021-22	**शून्य**	**शून्य**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) का प्रमाणपत्र

सेवा,
निदेशक मंडल
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

क) हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा के आधार पर और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर:

1. इन कथनों में कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं गया है या ऐसे कथन शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो; तथा

2. ये विवरण एक साथ कंपनी के व्यवसाय का एक सत्य और निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

ख) हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं किया गया है, जो कंपनी आचार संहिता के संदर्भ में धोखाधड़ीपूर्ण, अवैध या उल्लंघनात्मक हो।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और इन्हें बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या संचालन में हमारे संज्ञान में आई कमियों, यदि कोई हो, और इन कमियों को दूर करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए या उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों का प्रकटन किया है।

घ) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित के बारे में सूचित किया है:

i. 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष पर आंतरिक नियंत्रण में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन,

ii. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में इसका प्रकटन किया गया है, तथा

iii. हमारे संज्ञान में आई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले, तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी की उसमें संलग्नता, यदि कोई हो।

ह0/–
(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त)

ह0/–
(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक: 15.09.2022
स्थान: ऋषिकेश

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कारपोरेट सुशासन का प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
टिहरी-249001

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) सीआईएन – U45203UR1988GOI009822 एक सरकारी कंपनी है। कंपनी की इक्विटी 74.496% की सीमा तक एनटीपीसी लिमिटेड के पास और 25.504% की सीमा तक उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। इसलिए, कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। कंपनी एक ऋण–सूचीबद्ध कंपनी है।

मैंने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा मई, 2010 में जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है।

1. कॉर्पोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जांच कॉर्पोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकार की गई प्रक्रियाविधियों तथा उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में न तो लेखापरीक्षा है और न ही राय की अभिव्यक्ति है।

2. मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार मैं प्रमाणित करता हूं कि कंपनी ने, निम्नलिखित को छोड़कर सामान्यतः कॉर्पोरेट सुशासन की शर्तों का पालन कियाः

   क) कंपनी के बोर्ड में डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यात्मक, नामिती और स्वतंत्र निदेशकों का इष्टतम संयोजन नहीं है।

   ख) अंतर्नियमों के अनुसार, निदेशक नियुक्त करने की शक्तियां भारत सरकार के पास निहित हैं। भारत सरकार ने 10 नवंबर 2021 को महिला निदेशक सहित दो स्वतंत्र निदेशक और 28 मार्च 2022 को एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की।

   ग) वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद दिनांक 23.12.2021 को लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया था। इसके बाद, मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही में लेखापरीक्षा समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया।

   घ) दिनांक 23.12.2021 को लेखा परीक्षा समिति के गठन के परिणामस्वरूप, दिसंबर, 2021 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए तथा मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों के रूप में क्रमशः 14.02.2022 और 13.05.2022 को आयोजित बैठक में की गई थी।

3. मेरा आगे यह भी कथन है कि इस प्रकार का अनुपालन, न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में और न ही वह कार्यकुशलता या कारगरता के बारे में कोई आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संपन्न किया है।

ह0/–
(पी.एस.आर. मूर्ति)
पीआर संख्या 1134/2021
यूडीआईएन A005880D000517050

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22 जून, 2022